कार्यालय निदेशक कार्य (भू.अ)
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर

क्रमांक नि.का/निविदा/D.W (E.O)/ 306-314 दिनांक 13/8/2021

सीमित निविदा सूचना संख्या 02/2026–27

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जी.एस.टी पंजीकृत विक्रताओं/निर्माताओं से डेस्कटोप कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर सप्लाई हेतु सीमित निविदाऐं (तकनिकी व वितीय) पृथक–पृथक लिफाफों में निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि लाखों में	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	निविदा फार्म /डाउनलोड /विक्रय प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय
1	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर सप्लाई	1.90 लाख	500/-	3,800/-	14.08.2026 दोपहर 12:00 बजे से	19.08.2026 दोपहर 12:00 बजे तक	19.08.2026 दोपहर 01:00 बजे से

निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट "निदेशक कार्य (भू.अ), राजुवास, बीकानेर" के नाम अथवा निदेशक कार्य (भू.अ) के खाता संख्या **STATE BANK OF INDIA A/C No. 37172263607, IFSC CODE No. SBIN0032467 Account Name:- DIRECTOR WORKS (EO)** में जमा करवाना होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.rajuvas.org.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB Code : VAU2627A0071

UBN Code : VAU2627GSOB00070

प्रतिभा
निदेशक कार्य
राजुवास, बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् वित नियत्रंक, राजूवास, बीकानेर
2. श्रीमान् कोषाधिकारी, राजूवास, बीकानेर
3. नोडल अधिकारी, राजूवास, बीकानेर को विश्वविधालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. तकनिकी सहायक, निदेशक कार्य राजूवास, बीकानेर को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक अभियंता राजूवास, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा प्रपत्र अविलम्ब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. लेखापाल/कैशियर
7. सम्बन्धित ऑडिटर
8. रक्षित पत्रावली
9. सूचना पट्

प्रतिभा
निदेशक कार्य
राजुवास, बीकानेर

PARTICULAR DETAIL OF BID :

S.No.	ITEM	PARTICULARS
a)	Name of Work	**Supply of Desktop Computer and Printers at Director Works Office, RAJUVAS, Bikaner**
b)	Bid Cost (Rs. In lacs)	**Rs. 1.90 Lacs (With GST)**
c)	Completion Period	**10 Days From Date Of Supply Order**
d)	Validity of BID	The Bid for the works shall remain open for acceptance for the period of 90 days from date of opening of the Pre-qualification of Bid or manually extended period.
e)	Bid Cost (Non Refundable)	**Rs. 500/-** To be paid in Director Works (EO) Bank account or Deposit Cash in Director Works (EO) Office or Attached DD/Banker Cheque in Favour of Director Works (EO), RAJUVAS, Bikaner Bidders are requested to enclose receiving as proof:- **STATE BANK OF INDIA** **A/C No. 37172263607** **IFSC CODE No. SBIN0032467** **Account Name:- DIRECTOR WORKS (EO)**
F)	Bid Securities	Rs. 3,800/- (2%) To be paid in Director Works (EO) Bank account or Deposit Cash in Director Works (EO) Office or Attached DD/Banker Cheque in Favour of Director Works (EO), RAJUVAS, Bikaner Bidders are requested to enclose receiving as proof:- **STATE BANK OF INDIA** **A/C No. 37172263607** **IFSC CODE No. SBIN0032467** **Account Name:- DIRECTOR WORKS (EO)**
g)	Date of Sale of Tender Documents	Received form Director Works (EO) Office from Dated 14.08.2026 at 12.00 Noon to 19.08.2026 at 11.00 AM or Download from SPPP Portal Rajasthan
h)	Last Date and time of submission of Bid Document.	The BIDs can be submitted in upto dated 19.08.2026 Up to 12.00 Noon
i)	Bid Opening Date and Time	Dated 19.08.2026 ~~Up to~~ 01.00 PM

प्रतिभा X.En.

निदेशक कार्य (भू.अ)
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निदेशक कार्य, राजुवास, बीकानेर में कम्प्युटर व प्रिंटर की सप्लाई का कार्य।

1	निविदादाता फर्म का नाम, पता दूरभाष / मोबाईल नं.	
2	निविदा की अनुमानित लागत	1.90 लाख
3	निविदा शुल्क	राशि रूपये 500/- बैंकर्स चैक / डीडी न / ऑनलाईन नं......................... दिनांक............................
4	अमानत राशि	राशि रूपये 3,800/- बैंकर्स चैक / डीडी न / ऑनलाईन नं......................... दिनांक............................
5	प्रतिष्ठान का जी एस टी नं.	
6	प्रतिष्ठान का पेन नं.	
7	फर्म के ब्लैक लिस्टेड नहीं होने एवं संस्था के किसी कर्मचारी / अधिकारी से नजदीकी रिश्ता नहीं होने का शपथ-पत्र	

उपरोक्त समस्त सूचना को मेरे द्वारा भरा गया है एवं निविदा में जारी की गई समस्त शर्तों की मुझे पूर्ण जानकारी है तथा मैं निविदा अवधि के दौरान इन समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
पता मय मोबाइल नं.

प्रतिभा X.En.

ई–निविदा बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्तें :–

1. बोली पंजीकृत फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिए, इस तथ्य का प्रमाणिक अभिलेख बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अटोर्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हे। बोली स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करें, तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। बोलीदाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोलीदाता अपनी बोली या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नही किसी को आगे बोली पर दे सकेगा।
4. विभाग के पत्रों की गोपनियता की जिम्मेदारी बोलीदाता की फर्म की होगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रपत्र की अतिरिक्त प्रति नहीं करें। यदि किसी प्रपत्र की गोपनियता भंग होती है तो फर्म की बोली स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध आरटीपी एक्ट–2013 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
5. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी।

   अर्थात :–

   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करना है।

   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/सर्कम आदेश देने के पश्चात् विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संर्कम आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

   (घ) जब बोलीदाता प्रदाय/संर्कम आदेश दिये जाने के पश्चात् विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

   (ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

   (घ) सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
6. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):-
   बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की बोली कालावधि सामान्यतया 90 दिनों से अधिक नहीं होगी।
7. अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत बोलीदाता से जो भी वसूली बनती है, उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान

प्रतिभा
X.En.

लोकमांग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

8. बोलीदाता को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।
9. बिड की शर्तों में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं RTPP Act & RTPP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे।
10. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियम अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
11. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) रू. न्यूनतम बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी। कार्य सम्पदन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जावेगी।
    (1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक
    (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 180 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
    (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security) रू. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहन किया जा सकेगा।
    (1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    (2) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।
    (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
12. करार का निष्पादन (Execution of agreement)
    (1) सफल बोली लगाने वाले को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।
    (2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
    (3) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर नियमानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादन करना होगा।
    (4) करार पत्र को करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

प्रतिभा
X.En.

13. विवाद की स्थिति में उक्त निदेशक कार्य (भू.अ) का ही निर्णय अन्तिम होगा व बोलीदाता को मान्य होगा।
14. Mode of Payment: (1) भुगतान बोलीदाता द्वारा केता अधिकारी को उचित आसार में सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल 2 प्रतियों में भिजवाना होगा तथा बिल पर GST No. मुद्रित होना चाहिए।
15. बोलीदाता की अलग से कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
16. बोली में दरें शब्दों व अंकों में दोनो रूप से लिखि जायेगी। इसमें कोई त्रुटि एवं उपरीलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उस पर लघु हस्ताक्षर होने चाहिए।
17. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
18. दरें स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही अंकित की जावें। स्पेशिफिकेशन से भिन्न आईटम इद्राज कर अलग से दर प्रस्तुत करने पर बोली मान्य नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रतिभा
x.En.

निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट "निदेशक कार्य (भू.अ), राजुवास, बीकानेर" के नाम अथवा निदेशक कार्य (भू.अ) के खाता संख्या **STATE BANK OF INDIA A/C No. 37172263607, IFSC CODE No. SBIN0032467 Account Name:- DIRECTOR WORKS (EO)** में जमा करवाना होगा।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन डाउनलोड/जमा करवाने की अवधि निविदा के अनुसार होगी।
3. कार्य क्षेत्र राजुवास, बीकानेर होगा।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।
5. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी उसे नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। जिसका व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा एवं अनुमानित लागत की राशि 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि (Performance Secucity) के रूप में संबंधित निदेशक कार्य (भू.अ) कार्यालय में जमा करानी होगी।
6. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं कर सकेगा।
8. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जावेगा।
   (अ)जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
   (ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हो।
   (स)प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
10. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
12. निविदा वित्तीय बीड में दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी।
13. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
14. विनिर्देश :–(i) प्रयुक्त की गई सभी सामग्री निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। (ii) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित मानकों के ठीप अनुरूप होगा तथा वह अन्य सामग्रियों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित मानक न हों, वहां अत्युतम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा।
15. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदादाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

प्रतिभा
X.En.

16. अस्वीकृत सामग्री को निविदादाता इस आशय की सूचना प्राप्त होने से 05 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

18. (i) सुपुर्दगी की अवधि :— निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, इस कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर आदेशानुसार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) यदि कार्यकारी संस्था किन्हीं निविदत्त कार्यों को नहीं कराता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सम्पादित कराता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

19. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा।

20. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर, जीएसटी एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय—समय पर जारी कटौतियां की जावेगी।

21. भुगतान :—(i) किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान प्रदाय नहीं किया जाएगा। (ii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों। आपूर्तित सामग्री का केता अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर परीक्षण कराया जा सकेगा। परीक्षण शुल्क केता अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

22. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप से समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा। (ii) परिसमापित नुकसानी :— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :—

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2½%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7½%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

प्रतिभा
X.En.

(5) यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से पूरे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

23. वसूलियां :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोक जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढ़ंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

24. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप से कार्रवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

25. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी को नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

26. अन्य समस्त शर्तें सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों, आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

27. किसी भी विभाग द्वारा फर्म/संस्था को बोली लगाने के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, का 50 रु. का शपथ–पत्र संलग्न करें।

28. निविदा में भाग लेने वाली फर्म का कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है एवं कमेटी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ही फर्म को आदेश दिया जाएगा।

29. आपके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पायी जाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

30. लिफाफे पर नाम/पता/मो. नम्बर एवं निविदा का विवरण दर्ज हो, अन्यथा निविदानिरस्त कर दी जायेगी।

31. निविदा में अंकित सामग्री के विभिन्न आइटमों की दरें अलग अलग प्रस्तुत करनी होगी।

32. निविदा प्रपत्र में अंकित आइटमों में जिस निविदादाता की, जिस आइटम की दर न्यूनतम/विभागीय दृष्टिकोण से लाभप्रद होगी उस निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत की जायेगी।

33. तकनिकी एवं वितीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में शील बन्दकर दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में पैक कर प्रस्तुत करनी होगी। तकनिकी लिफाफे में तकनिकी निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि का डीडी/ऑनलाईन भुगतान की रसीद, जी. एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं नजदीकी रिश्तेदार के राजुवास, में पदस्थापित नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। वितीय लिफाफे में वितीय प्रपत्र जिसमें दरें अंको व शब्दों में भरी हो, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करनी होगी।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत हूं

हस्ताक्षर संवेदक मय सील

(Annexure "A" to "D" as per Rajasthan Transparency in public procurement rule, 2013)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a part has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid, or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid, or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Company Seal **Bidder's Authorized Signature**

प्रतिभा
X.En.

Annexure – B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/ our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No. .. . . Dated .. . . I / We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/ we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/ We have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.;
3. I / we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I / we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/ our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I / we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair completion;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address :

प्रतिश्री
अ.अ.

Annexure C : Grievance Redresser during Procurement

The designation and address of the First Appellate Authority is Superintending Engineer, PHED, Circle Bikaner.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Addl. Chief Engineer, P.H.E.D., Region Bikaner.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1)or(3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Company Seal **Bidder's Authorized Signature**

प्रतिआ X.En.

FORM NO. 1.
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .. .. of ....

Before the .... (First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any :
(iii) Residential address
2. Name and address of the respondent(s)
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: . . . .
....

Place: ....

Date : ....

Appellant's Signature ....

प्रतिभा
X.En.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Company Seal **Bidder's Authorized Signature**

प्रतिभा
x.[illegible]

निदेशक कार्य (भू.अ)
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, बीकानेर

<u>वितीय बिड़ निविदा प्रपत्र</u>

<u>निदेशक कार्य, राजुवास, बीकानेर में कम्प्युटर व प्रिंटर की सप्लाई का कार्य।</u>

निविदादाता फर्म का नामः...
पताः— ....
दूरभाष/मोबाईल नं.:— ....

क्र. स.	आईटम का नाम मय स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	दर प्रति नग जी.एस.टी सहित (अंको में)	दर प्रति नग जी.एस.टी सहित (शब्दों में)
1.	**<u>All in One Desktop Computer:-</u>** AIO 24IRH9 Core i3-1315U 16GB DDR5 512GB SSD INTEGRATED GRAPHICS 23.8FHD AG 250N WLAN+BT Cloud Grey 5M CAMERA WH KBD Wireless Win 11 Home + MS Office 2024 + 1 YR Microsoft 365 Basic 1 Year Onsite	02 नग		
2.	**<u>Printer:-</u>** Laser Printer, Single Function, Print, Hi-Speed USB 2.0, Up to 21 ppm, 150-sheet Input Tray, 100-sheet Output Tray, 10,000-page Duty Cycle, 1-Year Warranty, Black and White	02 नग		

उपरोक्त समस्त सूचना एवं दरों को मेरे द्वारा भरा गया है एवं निविदा में जारी की गई समस्त शर्तों की मुझे पूर्ण जानकारी है तथा मैं निविदा अवधि के दौरान इन समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
पता मय मोबाइल नं.